सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं.: **NCST/SER-2765/MCOL/50/2025-RU-IV**

दिनांक: 22.07.2026

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक,
कोल इंडिया लिमिटेड,
कोल भवन,परिसर सं.- 04 MAR
प्लॉट सं.- AF-III, एक्शन एरिया -1A,
न्यूटाउन, राजरहाट, कोलकाता-700156
ई-मेल: chairman.cil@coalindia.in

विषय: सीनियर मैनेजर (E-6) से चीफ मैनेजर (E-7) और चीफ मैनेजर (E-7) से जनरल मैनेजर (E-8) के पदों पर कोल इंडिया लिमिटेड में SC/ST एग्जीक्यूटिव्स के प्रमोशन में अन्याय और आरक्षण नीति के लागू न होने के संबंध में श्री श्यामकुमार बार्वे, सांसद , रामटेक (नागपुर) शेतकरी भवन, गणेशपीठ बस स्टैंड के पास, नागपूर, महाराष्ट्र का दिनांक 17.07.2025 का पत्र।

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय पर **दिनांक 17.06.2026 को** आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आहूत सिटिंग का सन्दर्भ ग्रहण करें। उक्त सिटिंग का कार्यवृत इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

2. आपसे अनुरोध है की सिटिंग में लिए गए निर्णयों एवं आयोग द्वारा दिए गए सुझावों पर कार्रवाई करते हुए कार्रवाई रिपोर्ट इस आयोग को **पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर** भेजना सुनिश्चित करें।

संलग्नः यथोपरि.

भवदीय

पूर्णेन्दु कान्त

(पूर्णेन्दु कान्त/Purnendu Kant)
निदेशक/Director

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

श्री श्यामकुमार बार्वे,
सांसद , रामटेक (नागपुर) शेतकरी भवन,
गणेशपीठ बस स्टैंड के पास, नागपूर, महाराष्ट्र

6th Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi - 110003
Tel.: 011-24601346, 011-24620638 Toll Free : 1800117777; Website: www.ncst.gov.in

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

पत्रावली संख्या - **NCST/SER-2765/MCOL/50/2025-RU-IV**

कोल इंडिया लिमिटेड में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिकारियों के पदोन्नति (E-6 से E-7 तथा E-7 से E-8) में आरक्षण नीति लागू न किए जाने एवं पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किए जाने के संबंध में माननीय सांसद श्री श्यामकुमार बर्वे के अभ्यावेदन पर दिनांक 17.06.2026 को आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री अंतर सिंह आर्य की अध्यक्षता में सम्पन्न सिटिंग/सुनवाई का कार्यवृत्त।

सिटिंग/सुनवाई की दिनांक : 17.06.2026

सिटिंग/सुनवाई में उपस्थित प्रतिभागी : अनुलग्नक-I के अनुसार।

2. माननीय सांसद श्री श्यामकुमार बर्वे, रामटेक (नागपुर) द्वारा आयोग को प्रस्तुत अभ्यावेदन में अनुरोध किया गया कि कोल इंडिया लिमिटेड में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के अधिकारियों के पदोन्नति के मामलों, विशेषकर सीनियर मैनेजर (E-6) से चीफ मैनेजर (E-7) तथा चीफ मैनेजर (E-7) से जनरल मैनेजर (E-8) के पदों पर पदोन्नति में आरक्षण नीति लागू न किए जाने तथा उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित न किए जाने के संबंध में आयोग हस्तक्षेप करे। अभ्यावेदन में यह आरोप लगाया गया कि कोयला मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम होने के बावजूद कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के कर्मचारियों को उपलब्ध संवैधानिक एवं प्रशासनिक सुरक्षा उपायों का पूर्णतः अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

3. अभ्यावेदन में आयोग से अनुरोध किया गया कि कोल इंडिया लिमिटेड को जनरल मैनेजर (E-8) स्तर की वर्तमान चयन प्रक्रिया को निरस्त कर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप नई प्रक्रिया अपनाने, आरक्षण रोस्टर तैयार करने एवं लागू करने, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति पर्यवेक्षक सहित विधिवत विभागीय पदोन्नति समिति गठित करने तथा E-7 एवं E-8 स्तर पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रतिनिधित्व की समीक्षा करने के निर्देश दिए जाएं।

4. प्रकरण के संबंध में कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा आयोग को प्रस्तुत प्रतिवेदन में अवगत कराया गया कि सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार पदोन्नति में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षण समूह 'डी' से लेकर समूह 'ए' के निम्न स्तर तक तथा उन पदों पर लागू है जहां पदोन्नति वरिष्ठता-सह-योग्यता (Seniority-cum-Fitness) के आधार पर की जाती है। यह भी अवगत कराया गया कि कोल इंडिया लिमिटेड में गैर-कार्यकारी संवर्गों में आरक्षण नीति लागू है तथा कार्यकारी संवर्ग में E-6 स्तर

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

तक पदोन्नति वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर होती है, जबकि E-6 से E-7 तथा E-7 से E-8 स्तर की पदोन्नति योग्यता-सह-वरिष्ठता (Merit-cum-Seniority) के आधार पर की जाती है।

5. कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया कि सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार पदोन्नति में आरक्षण E-6 स्तर तक लागू किया जाता है तथा जिन पदों पर आरक्षण लागू है, उनके लिए अनुशासनवार एवं संवर्गवार रोस्टर का संधारण किया जाता है, जिसका समय-समय पर संपर्क अधिकारी द्वारा परीक्षण भी किया जाता है। साथ ही यह भी अवगत कराया गया कि विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा पदोन्नति के लिए पात्र अधिकारियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन कोल इंडिया लिमिटेड के पदोन्नति दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है तथा जहां आरक्षण लागू है, वहां अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया जाता है।

6. दिनांक 17.06.2026 को आयोजित सिटिंग में कोल इंडिया लिमिटेड के प्रतिनिधिगण आयोग के समक्ष उपस्थित हुए। सुनवाई के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड के प्रतिनिधियों द्वारा आयोग को पुनः अवगत कराया गया कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के अधिकारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था निर्धारित सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार E-6 स्तर तक लागू है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि E-6 से E-7 तथा E-7 से E-8 स्तर की पदोन्नति चयन आधारित (Selection Post) प्रक्रिया के अंतर्गत होती है तथा वर्तमान नीति एवं प्रचलित दिशा-निर्देशों के अनुसार इन स्तरों पर आरक्षण लागू नहीं है।

7. अभ्यावेदक पक्ष द्वारा आयोग के समक्ष यह अनुरोध किया गया कि कोल इंडिया लिमिटेड में वरिष्ठ प्रबंधकीय स्तरों पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के अधिकारियों के वास्तविक प्रतिनिधित्व तथा पदोन्नति प्रक्रिया के आंकड़ों का परीक्षण किया जाए, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व एवं अवसर प्राप्त हो रहे हैं।

8. प्रकरण में दोनों पक्षों को सुनने तथा उपलब्ध अभिलेखों एवं कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का अवलोकन करने के उपरांत माननीय अध्यक्ष महोदय ने अवलोकन किया कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के अधिकारियों के प्रतिनिधित्व की स्थिति एवं पदोन्नति के वास्तविक आंकड़ों का विस्तृत परीक्षण किया जाना आवश्यक है।

प्रकरण में दोनों पक्षों को सुनने तथा उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन करने के उपरांत माननीय आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुशंसाएं की गईं –

1. कोल इंडिया लिमिटेड आयोग को एक विस्तृत तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत करे, जिसमें E-6, E-7 एवं E-8 स्तरों पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के अधिकारियों का कुल स्वीकृत

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

पद, कार्यरत संख्या, रिक्तियों की संख्या तथा प्रतिशत प्रतिनिधित्व का विवरण उपलब्ध कराया जाए।

2. कोल इंडिया लिमिटेड E-6 से E-7 तथा E-7 से E-8 स्तर की पदोन्नति प्रक्रिया में सम्मिलित कुल अधिकारियों, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के पात्र अधिकारियों, साक्षात्कार हेतु उपस्थित अधिकारियों तथा पदोन्नति हेतु चयनित अधिकारियों का श्रेणीवार एवं वर्षवार विवरण आयोग को उपलब्ध कराए।

3. कोल इंडिया लिमिटेड यह स्पष्ट करे कि E-6 से ऊपर के स्तरों पर पदोन्नति में आरक्षण लागू न किए जाने के संबंध में कौन-कौन से सरकारी दिशा-निर्देश, नीतियां एवं सक्षम प्राधिकारी के निर्णय प्रभावी हैं।

4. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के अधिकारियों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व के संबंध में उपलब्ध सांख्यिकीय एवं संख्यात्मक आंकड़ों सहित विस्तृत प्रतिवेदन आयोग को 30 दिवस के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

(अंतर सिंह आर्य)
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

अनुसंधान एकक-I

****

फाइल. सं. NCST/SER-2765/MCOL/50/2025-RU-IV

दिनांक: 17.06.2026

विषय: सीनियर मैनेजर (E-6) से चीफ मैनेजर (E-7) और चीफ मैनेजर (E-7) से जनरल मैनेजर (E-8) के पदों पर कोल इंडिया लिमिटेड में SC/ST एग्जीक्यूटिव्स के प्रमोशन में अन्याय और आरक्षण नीति के लागू न होने के संबंध में श्री श्यामकुमार बार्वे, सांसद , रामटेक (नागपुर) शेतकरी भवन, गणेशपीठ बस स्टैंड के पास, नागपूर, महाराष्ट्र का दिनांक 17.07.2025 का अभ्यावेदन के संबंध मे आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आयोग मुख्यालय के न्यायालय कक्ष में दिनांक 17.06.2026 को आयोजित सिटिंग/सुनवाई की उपस्थिति।

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1	श्री अंतर सिंह आर्य	माननीय अध्यक्ष	अध्यक्षता	
2	श्री पूर्णेंदु कान्त	निदेशक		
3	श्री शिव प्रकाश	वरिष्ठ अन्वेषक		
4	श्री निरंजन नंद शुक्ला	अन्वेषक		

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, कोल इंडिया लिमिटेड,
कोल भवन,परिसर सं.- 04 MAR प्लॉट सं.- AF-III, एक्शन एरिया -1A,
न्यूटाउन, राजरहाट, कोलकाता-700156

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1	ब्रजेश बी नायर	महाप्रबंधक (मा.सं.)	9422180393	[signature] नायर
2	मयूख चावला	संपर्क अधिकारी	9933955755	[signature]
3				
4				

अभ्यावेदक/अभ्यावेदिका

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1				
2				
3				